

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 1983/पौष 28 1904
No 20] NEW DELHI TUESDAY, JANUARY 18, 1983/PAUSA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1983

का०आ० 20(अ) - -केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951
(1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग की अधिमूर्चना सं० का०आ०
543 (अ) तारीख 11 जनवरी 1982 द्वारा अपान्वित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग अधिमूर्चना सं० का०आ० 775 (अ)/19-कक/सौ०वि०वि०अ० 80
तारीख 12 सितम्बर, 1980 का आशिय उपान्वरण करते हुए, सध्य प्रदण शासन के संयुक्त
निदेशक उद्योग और एस०एस० उमल का मैसर्स जयश्री शृंगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड अश्री०,
जिला अलमोरा का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फाइल सं० 1(12)/80-सी०यू०एस०]

ग० पी० सखन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 1983

S.O. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in the partial modification of the Order of Government of India, in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 775(E)/18AA/IDRA/80, dated the 12th September, 1980 (as modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 542(E), dated 31st July, 1982) the Central Government hereby authorises Shri S. S. Uppal, Joint Director of Industries, Government of Madhya Pradesh, to take-over the management of Messrs Jaora Sugar Mills Limited, Jaora, District Ratlam.

[File No. 4(12)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.